न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश पीलीभीत

फौजदारी अपील संख्या– 2013

मोहम्मद असद हयात पुत्र श्री आई दयाल, महासचिव अवामी कॉउसिल फॉर डेमोक्रेसी एण्ड पीस, 40–ए, मिर्जा गालिब रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. राज्य उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी जिला पीलीभीत।
2. वरूण गॉधी पुत्र स्व0 संजय गॉधी, सासंद 26 लोक सभा, पीलीभीत निवासी 14 अशोका रोड थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली।

.....प्रतिपक्षी

थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत

अपील अन्तर्गत धारा 372 सी0आर0पी0सी0 सपठित धारा 378 सी0आर0पी0सी0 फौजदारी अपील विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 5 मार्च 2013 जो कि मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट पीलीभीत अब्दुल कय्यूम ने अपराध सं0 255/2009 दाण्डिक बाद सं0 2339/2009 राज्य बनाम वरूण गॉधी धारा 153 क, 295 क, 505 (2) आई0पी0सी0 एंव 125 लोक प्रति0 अधिनियम– धारा बरखेडो जनपद पीलीभीत में दोषमुक्त किया गया।

अपील के आधार

1. यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 5 मार्च 2013 नियम,न्याय, और औचित्य के विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5 मार्च 2013 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 5 मार्च 2013 विधि विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है।

4. यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 मार्च 2013 तथ्यो व अभिकथनो के विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है।

5. यह कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया है। न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है, गलत निर्णय व आदेश दिनांक 5 मार्च 2013 पारित किया गया है।

––/2 पर

6. यह कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि प्रतिपक्षी नं0 2 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 153 क, 295 क, 505(2) आई0पी0सी0 एवं 125 लोक प्रति0 अधिनियम का आपराधिक मामला बनता है। अवर न्यायालय द्वारा पठनीय साक्ष्य को ग्राहय न करके आदेश व निर्णय 5 मार्च 2013 पारित किया गया है।

7. यह कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी नं0 2 के द्वारा भड़काऊ भाषण देकर हिन्दू और मुस्लिम समाज में सम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिससे समाज के विशेष वर्ग मुस्लिम मे असुरक्षा की भावना पैदा हुई। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णय दिनांक 5 मार्च 2013 कायम रहने योग्य नहीं है, निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि अपीलकर्ता ने उक्त बाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलकर्ता सहित नये साक्षीगण को नये साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की थी। इसके साथ ही यह प्रार्थना भी की थी कि विपक्षी नं0 2 को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए निर्देश दिया जावे और यदि वह अपनी आवाज का नमूना न दे तो उनके विरूद्ध एडवर्स इन्फरेन्स लिया जाये। परन्तु अवर न्यायालय द्वारा उन प्रश्नो पर विचार नहीं किया गया जिनको अपीलकर्ता ने माननीय अवर न्यायालय के समक्ष रखा था और बिना कोई कारण बताये अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। जबकि यह आवश्यक था कि प्रार्थना पत्र. निरस्त करने के कारण निर्णय में उल्लेखित हो जबकि धारा 311 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टेज पर, गवाह के रूप में बुनाले और परिक्षित करने के पूरे अधिकार है। और दौरान बाद विचारण न्यायालय में यह तथ्य आता है कि इसी बाद में पूर्ण न्याय के लिये नया साक्ष्य आना जरूरी है तो धारा 311 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत न्यायालय नई साक्षी को तलब करेगी जिसका करना न्यायालय के लिए मैनडेटरी है। जैसा की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जाहिरा शेख के बाद (ए0आई0आर0 2006 एस0सी0 पेज 1367 और हनुमान राम के बाद (2008) 15 एस0सी0सी0 पेज 652) में विधि का सिद्धात स्थापित किया ह।

9. यह कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पूरे विश्वास, निष्ठा, शक्ति के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जिसके कारण गवाह पक्षद्रोही हो गये।

—/3 पर

10. यह कि प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इंकार नही किया गया है और न ही अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0पी0सी0 के उत्तर में इस तत्व से इंकार किया है कि उसने क्रिमिनल पिटीशंन नं0 4950 सन् 2009 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दाखिल नहीं की थी जिसके पैरा 21 में उसने यह कहा है कि काम्पैक्ट डिस्क में जो आवाज है जिसे उसने टेलीविजन पर सुना है उसकी नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की आवाज उक्त कम्पैक्ट डिस्क में डब कर दी गई है। विपक्षी नं0 2 द्वारा स्वयं विभिन्न टीवी चैनल, स्टार टी0वी0 और पत्रकार दीपक चौरसिया को दिये अपने साक्षात्कार में कहा कि टी0वी0 चैनलो में दिखाई गई सी0डी0 फर्जी है उसमें उनकी आवाज नहीं है और उनकी जगह किसी अन्य की आवाज डाल दी गई है। विपक्षी द्वारा दिये गये साक्षात्कार यू–टयूब पर आज भी देखे जा सकते है। विपक्षी नं0 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 के अपने व्यान में भी यह कहा है कि उसके विरूद्ध गलत सीडी पेश की गई है।

11. यह कि माननीय अवर न्यायालय यह समझने में असफल रहा है–

अ– यह कि विपक्षी नं0 2 के उपरोक्त कथन से अन्तर्गत धारा 101, 102, 103 साक्ष्य अधिनियम बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है क्योकि उसके द्वारा अपनी आवाज से इंकार नहीं किया गया है और वह कहता है कि किसी अन्य की आवाज डब की गई है और वह विवेचक को अपनी आवाज का नमूना देने से भी इंकार कर रहा है इसलिए उसके विरूद्ध एडवर्स इन्फरेस लिया जाना चाहिए था।

ब– माननीय अवर न्यायालय को विपक्षी नं0 2 को अपनी आवाज का नमूना के निर्देश देने चाहिए थे। परन्तु अभियोजन द्वारा विपक्षी नं0 2 से साज कर लिया गया और इस पर बल नहीं दिया। जिसके कारण सत्य की खोज नहीं हो सकी।

स– धारा 313 सी0आर0पी0 का दायरा बडा है। और यह केवल औपचारिकता नहीं है। अभियुक्त द्वारा जो उत्तर दिये जाते है वह सत्य की खोज में महत्वपूर्ण होते हैं । प्रस्तुत मामले में तब विपक्षी नं0 2 द्वारा सी0डी0 के गलत होने की बात कही जा रही है तब इस संबंध में विस्तृत रूप से उससे प्रश्न पूंछे जाने चाहिए थे और आवाज का नमूना देने के लिये निर्देश देना चाहिए था । जिसके लिये अपीलकर्ता ने भी अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0पी0सी0 में भी प्रार्थना की थी और विपक्षी नं0 2 के विरूद्ध नमूना न देने पर उसके विरूद्ध एडवर्स इन्फेन्स लिया जाना चाहिये था परन्तु न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया ।

12— यह कि इस तथ्य को साबित करने का दायित्व प्रतिपक्षी नं0 2 का ही है कि सी0डी0 में आवाज उसकी नहीं है । अन्वेषण के दौरान जब पुलिस ने अभियुक्त की आवाज का सैम्पल माँगा तो उसने इन्कार कर दिया। इस कारण विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियुक्त की आवाज का मिलान नहीं हो पाया । अभियोजन पक्ष द्वारा विपक्षी नं0 2 से साज करते हुये न्यायालय ने उसे अपनी आवाज का नमूना देने के लिये बाध्य नहीं किया गया।

13— यह कि जो मूल सी0डी0 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। वह धारा 65ए, 65वी साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों पर खरी उतरती है क्योंकि प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा कोई विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे धारा 65वी साक्ष्य अधिनियम का पूर्ण रूप से निर्वहन उक्त सीडी पर न होता हो । धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भी प्रतिपक्षी नं0 2 को यह साबित करना था कि सीडी में जो आवाज है वह उसकी नहीं है ।

14— यह कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है उसके अनुसार सी—1 काम्पैक्ट डिस्क है जिसमें दो वीडियो फिल्म 9—27 मिनट की अवधि की है और डीवी वीडियो कैसेट मॉडल डीवी एम—60 वी—1 में 57—47 मिनट की अवधि की फिल्म है जिसे गवाह तारिक नैय्यर और उसके साथियों ने बनाया था । इसी के साथ प्रतिपक्षी नं0 2 की आवाज का मिलान होना था । एम—2 गवाह शारिक द्वारा बनायी गयी कैसेट है जो थाना बरखेड़ा के उस घटनास्थल की नहीं है जहाँ प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा प्रश्नगत भडकाऊ भाषण दिया गया था । अभियोजन द्वारा श्री एस0के0 जैन असिस्टेन्ट डायरेक्टर सीएफएसएल को साजिशन गवाह के रूप में न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया गया और प्रतिपक्षी नं0 2 को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उन्हें गवाही से उन्मोचित कर दिया गया जो कि गलत है । श्री एस0के0 जैन मात्र औपचारिक साक्षी नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने व्यान अन्तर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने तीनों कन्टेन्ट्स में वाक्यों में समानता पाई थी । इस गवाह ने तीनों कन्टेन्ट्स के विषय में सीएफएसएल रिपोर्ट में लिखा है कि वह ओरिजनल नहीं है जिससे गवाह का आशय यह है कि वह ओरिजनल कन्टेन्ट्स उसे मानते हैं जो एक ही शॉट में रिकार्ड की गई हो किन्तु जब रिकार्डिंग रूक रूक कर की गई हो तो उसे ओरिजनल यह गवाह नहीं मानता है । चूँकि प्राप्त कन्टेन्ट्स में रिकार्डिंग रूक रूक कर की गई है इसलिये इस गवाह के अनुसार वह ओरीजनल नहीं है । चूँकि इस गवाह को न्यायालय के समक्ष जानबूझ कर पेश नहीं किया गया और उन्मोचित करा दिया गया इसलिये सीडी के असल होने के विषय में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी और गवाह तारिक नैय्यर से भी इस संबंध में विस्तारपूर्वक व्यान नहीं दिलाया गया । वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षी नं02 के भाषण की रिकार्डिंग रूक रूक कर अलग अलग समय पर एक ही स्थल पर की गई है जो कि असल है । चूँकि श्री वरूण गाँधी की भाषणों के दौरान

वीडियो रिकार्डिंग पर पाबन्दी थी इसलिये पत्रकारों द्वारा छिपकर, रूक रूक कर उनके भाषणों की रिकार्डिंग की जा रही थी जिसका एक ही शॉट में होना असम्भव था । परन्तु श्री जैन द्वारा इन परिस्थितियों में की गई रिकार्डिंग को गलत भी नहीं कहा गया है और यह कहा गया है कि आवाज का मिलान तभी हो सकता है जब व्यक्ति (विपक्षी नं0 2) की आवाज का नमूना प्राप्त हो । जिस अंश में विपक्षी नं0 2 द्वारा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किये गये हैं वे कन्टीनुएशन में हैं और असल है जिनमें कोई सीकुएन्स डिफेक्ट नहीं है परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

15— यह कि पत्रिका तहलका द्वारा अंक दिनॉक 31 मई 2013 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री वरूण गॉधी की भडकाऊ भाषण वाली सीडी की जॉच एनडी टीवी द्वारा अमरीका की एक स्वतन्त्र फोरेन्सिक लैब डिजीटल एवीडेन्ट लीगल वीडियो सर्विसेज द्वारा कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह सीडी असली है इसमें कोई छेडछाड नहीं की गई है । यह रिपोर्ट एनडी टीवी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के साथ की गई थी कि वह विवादित भाषण और उससे संबंधित उक्त अमरीकन सीएफएसएल रिपोर्ट के प्रसारण की अनुमति अनुमति चाहता है।

16— यह कि अपीलकर्ता पीड़ित पक्ष है । अपीलकर्ता ने प्रतिपक्षी नं02 का भाषण यू ट्यूब और विभिन्न टी0वी0 चैनलों पर देखा और सुना है । प्रतिपक्षी नं0 2 का अपराध समाज के विरूद्ध अपराध है । जिससे कि साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न हुआ है और मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई । इस मामले के तथ्यों और दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जिसकी भावनाएं प्रतिपक्षी नं0 2 के भाषण से आहत हुई और असुरक्षा की भावना पैदा हुई, वह पीड़ित पक्ष है । इसी प्रकार अपीलकर्ता भी पीड़ित पक्ष है और उसे प्रतिपक्षी नं0 2 के विरूद्ध न्यायालय में गवाही देने, मुकदमे की प्रक्रिया में पक्षकार के रूप में शामिल होने और इस अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है । पीड़ित पक्ष वह है जो अभियुक्त के कृत्य से प्रभावित, आहत, पीड़ित हुआ हो । प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता पीड़ित पक्ष है ।

17— यह कि अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0 पी0सी0 का विरोध अभियोजन पक्ष द्वारा यह कह कर किया गया कि प्रार्थी अपीलकर्ता आवेदक सूची में नहीं है और न ही अभियोजन साक्ष्य में लिंक साक्षी है । इस आधार पर अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जो कि गलत है । अपीलकर्ता एक स्वतन्त्र साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ था । अपीलकर्ता द्वारा वह सभी प्रश्न उठाये गये थे जिनके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा विपक्षी नं0 2 के साथ साजिश करके न्याय की हानि की जा रही थी और फेयर ट्रायल नहीं हो रहा था तथा आवश्यक गवाहों को साक्ष्य के रूप में नहीं बुलाया जा रहा था । प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद आदेश दिनॉक 27 फरवरी 2013 के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा निगरानी माननीय उच्च

——/6 पर

न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दाखिल की गयी । अपीलकर्ता द्वारा माननीय अवर न्यायालय से प्रार्थना की गई कि उक्त निगरानी की सुनवाई होने तक कोई आदेश पारित न करें परन्तु माननीय अवर न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता प्रार्थी की प्रार्थना को ठुकराते हुये दिनॉक 05 मार्च 2013 को विपक्षी नं0 2 को अपने आदेश व निर्णय के द्वारा दोषमुक्त कर दिया । इससे न्याय की हानि हुई ।

18— यह कि अवर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनॉक 05—03—2013 से न्याय निष्फल हुआ । न्याय असफल हुआ है । अवर न्यायालय की वाद संख्या 2339/09 की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य को तथ्य व विधिक व न्यायिक दृष्टि से देखते हुये यह अपील न्यायहित व लोकहित में प्रस्तुत की है । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी सं0 2 में मुस्लिम वर्ग व उनकी धार्मिक विश्वास/भावना का अपमान किया है और दो धार्मिक वर्गो के बीच शत्रुता, घृणा आदि को बढावा देने हेतु उकसाने वाला उत्तेजक भाषण दिया व अफवाह फैलाई ।

19— यह कि अवर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनॉक 05—03—12 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से 34 साक्षी अदालत में पेश हुये जिनमें से सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुये हैं । सरकारी कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भी अपने व्यान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का समर्थन नहीं किया है और न ही अपने कर्तव्य का पालन किया है ।

20— यह कि प्रतिपक्षी सं0 2 श्री वरूण गॉधी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक व प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो उनके (वरूण गांधी) अनुसार राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और नेता हैं और जिला पीलीभीत से सांसद हैं । इस क्षेत्र में उनका दबदबा है । प्रतिपक्षी सं0 2 दबंग व्यक्तित्व के हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण प्रतिपक्षी सं0 2 के दबाब तथा भय में पक्षद्रोही घोषित हुये हैं । अवर न्यायालय में परीक्षण फेयर नहीं हुआ है। उक्त पत्रावली में अभी अतिरिक्त साक्ष्य लेने की कार्यवाही की न्याय हित में जरूरत है । माननीय न्यायालय श्रीमान जी द्वारा धारा 391 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकता है ।

21— यह कि इस न्यायालय श्रीमान जी द्वारा प्रतिपक्षी सं0 2 श्री वरूण गांधी को उनकी आवाज का नमूना देने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि अपील का निस्तारण सुविधा जनक हो और न्याय असफल न हो । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रिपोर्ट सीएफएसएल कागज सं0 ग—62 प्रदर्श क—20 से भी यह स्पष्ट है कि विशेषज्ञ महोदय को प्रतिपक्षी सं0 2 के ओरीजनल आवाज नमूना की जरूरत थी जिसको एकत्रित करने में विवेचक ने विधि अनुसार प्रयास नहीं किया । दोषपूर्ण व अपूर्ण विवेचना करके अन्तिम रिपोर्ट अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी । इस संबंध में अदालत में साक्ष्य लेने हेतु अपीलकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत किया जो सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया । अपर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा उक्त साक्ष्य को

——/7 पर

नजरन्दाज कर दिया गया जो कि गलत है । अपर न्यायालय श्रीमान जी का आदेश व निर्णय कायम रहने योग्य नहीं है निरस्त होने योग्य है ।

22— यह कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत है और विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है । निर्णय अनुचित है । विधि बिन्दुओं को नजरन्दाज किया है । निर्णय अवैध और अनियमित है ।

23— यह कि प्रतिपक्षी सं0 2 श्री वरूण गॉधी के विरूद्ध दो अन्य आपराधिक वाद जिला पीलीभीत में पंजीकृत हुये थे जो उक्त दोनों आपराधिक मुकदमों में भी साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुये । जो प्रतिपक्षी सं0 2 के प्रभावशाली होने का परिणाम प्रतीत होता है ।

24— यह कि अवर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 5—3—2013 के उपरान्त दिनॉक 14, 15 मई 2013 को टी0वी0 चैनल्स आईबीएन—7, आज तक, न्यूज हेड लाइन्स द्वारा स्टिंग आपरेशन रिपोर्ट रिलीज की गई जिससे यह प्रकाश में आया कि उपरोक्त वाद में तथ्य से संबंधित साक्षीगण प्रशासनिक और विपक्षी नं0 2 के दबाब में, साजिशन व भय से पक्षद्रोही हुये हैं जिसमें विपक्षी नं0 2 व प्रशासन की मिलीभगत है इस सम्बन्ध में दिनॉक 31 मई 2013 को पत्रिका तहलका हिन्दी द्वारा एक विशेष रिपोर्ट पेज नं0 36 से 55 प्रकाशित की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि साक्ष्द्वीगण किस प्रकार प्रशासन और विपक्षी नं0 2 की मिलीभगत से पक्षद्रोही हुये । अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 311 सी0आर0पी0सी0 में भी यह उल्लेख किया था कि अभियुक्त व प्रशासन की मिलीभगत से गवाहों को पक्षद्रोही कराया गया है । इन परिस्थितियों में माननीय अवर न्यायालय श्रीमान जी को नये साक्षीगण को तलब करके गहन विचारण करना चाहिये था । सभी गवाहों का पक्षद्रोही होना और सीएसएफएल विशेषज्ञ श्री जैन, जिलाधिकारी महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल और पुलिसकर्मी राजेन्द्र प्रसाद जैसे अहम गवाहों को गवाही से उन्मोचित करा देना तथा विपक्षी नं0 2 से आवाज का नमूना न लेना साबित करता है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अवर न्यायालय/न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 2339/09 राज्य बनाम वरूण गांधी में अन्तर्गत धारा 153क, 295क, 205 (2) आई0पी0सी0 एवं 125 लोक प्रति0 अधिनियम में पारित निर्णय व आदेश दिनॉक 05—03—2013 को निरस्त करके अपील स्वीकार करने की कृपा करते हुये प्रतिपक्षी नं0 2 को दोषसिद्ध करने की कृपा करें ।

अपीलकर्ता

दिनॉक — 25—05—2013

(असद हयात)

द्वारा अधिवक्ता

अताउर्रहमान, एडवोकेट